

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०-१, उन्नाव।

स्थिति- अलका यादव, (उत्तर प्रदेश -न्यायिक सेवा)

पीठद्वारा मुकदमा सं०-८००/२००६

राज्य प्रति १-मदन सिंह पुत्र विश्राम सिंह

२-वीर सिंह पुत्र मदन सिंह

निवासी गण ग्राम कुशराजपुर, थाना बोंगरमउ, जिला उन्नाव।

धारा- 324, 323, 504 भा.द.सं.

थाना-बोंगरमउ, जिला उन्नाव।

एन.सी.आर. सं०-139/2004

### निर्णय

अभियुक्त गण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध थाना बोंगरमउ, जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा धारा- 324, 323, 504 भा०द०सं० के अपराध का आरोप-पत्र न्यायालय के विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथनांक इस प्रकार है कि, प्रार्थी ने थाने पर जुदानी सूचना दर्ज करायी कि प्रार्थी के गाँव के मदन व वीर सिंह व एक अन्य रिस्तेदार ने मिल कर प्रार्थी को लाठी डण्डे व तबल के बेल से मारा पीटा, बुरी बुरी गालियों दी। उसकी पुरानी रजिश् अभियुक्त लोग से चल रहा है। लल्लू व लाल सिंह व मोहल्ले के लोगो ने देखा व बचाया। सिर में चोट आयी है।

प्रार्थी के सूचना के आधार पर एन.सी.आर. में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसका इन्द्राज जी.डी. ने किया गया। मामले की विवेचना विवेचक द्वारा की गयी, जिन्होंने गवाहों के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी प्रदर्श क-२ बनाया, तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 324, 323, 504 भा०द०सं० में आरोप पत्र प्रदर्श क-३ न्यायालय में प्रेषित किया।

आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अभियुक्त गण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध धारा 324, 323, 504 भा.द.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को नकलें दी गयी।

अभियुक्त गण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध धारा 324, 323, 504 भा.द.सं. में आरोप लिखित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०-१ राधा कृष्ण, पी०डब्लू०-२ लाल सिंह, पी०डब्लू०-३ एस.आई. राज नरायन शुक्ला एवं पी०डब्लू०-४ उमा शंकर शुक्ला, ए.आर.ओ. को परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन के साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313  
योजना लेखाबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में घटना को गलत और कोई मार  
पीट न होने, नवाहान द्वारा दी गयी गवाही को गलत, गलत आरोप पत्र प्रेषित करना, शफाई में  
अपना साक्ष्य न प्रस्तुत करने तथा अपने अन्य कथन में कुछ नहीं कहा है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त गण के विद्वान अधिवक्ता के  
तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 324, 323, 504 भा.द.स. में आरोप  
विरचित किया गया है।

उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी वादी  
मुकदमा पी.डबल्यू-1 राधा कृष्ण ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि घटना आज से  
साढ़े पाँच साल पहले दिन के तीन बजे की है। वीर सिंह व मदन सिंह घटना के कुछ दिन  
पहले शराब पीने के लिये पैसे माँगे थे। उसने पैसे देने से मना कर दिया था। इसलिये उससे  
रंजिश मानते थे। इस बात को लेकर घटना वाले दिन व समय दोनों ने अपने रिश्तेदार के साथ  
मिल कर उससे मार पीट की थी। वीर सिंह ने लाठी से कन्धे पर मारा था व मदन सिंह ने  
तब्ल से कान के उपर सार पर मारा था। उसका सिर कट गया था, खून बहा था, गाँव के लाल  
सिंह व लल्लू शोर पर आ गये, घटना देखी और बीच बचाव किया। यह घटना उसके घर जाने  
समय सड़क पर स्थित देवी जी के चबूतरे के पास घटित हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट उसी  
दिन थाना व गमरुड में दर्ज करायी थी। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने उसका बयान लिया  
था। एन.सी.आर.की प्रमाणित प्रति पर उसके हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्शक 1 डाला गया।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि थाने पर रिपोर्ट करने साढ़े 6 व 7  
बजे पहुँचे थे। जाते ही जुबानी रिपोर्ट थाने के मुंशी जी को लिखायी थी। वह बोलता जाता था  
और मुंशी जी लिखते जाते थे। मुंशी जी ने लिखकर उसके हस्ताक्षर कराये थे। वह कागज गुणो  
जी ने पढ़कर नहीं सुनाया था। वह पाँचवे तक पढ़ा है और हिन्दी पढ़ लिख लेता है। वह तीन  
बजे दोपहर बाद मारा गया था। घटना के पूर्व उसने शराब पीने के लिये मुलजिमान को कभी  
काँइ पैसे नहीं दिये थे। उसी दिन के एक दिन पहले शराब पीने के लिये मुलजिमान ने पैसे माँगे  
थे। यह बात उसने अपनी रिपोर्ट में लिखायी थी और दरोगा जी को अपने बयान में बताया था।  
अगर दोनो जगह उक्त बात नहीं लिखी है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता है। उसकी  
मुलजिमान से रंजिश थी। उसके पिता की मौसी राम प्यारी को मुलजिम मदन सिंह भगा कर  
नहीं ले गया था। मुलजिम मदन सिंह तब्ल को धार की तरफ से उरो मारा था। बेट की तरफ  
से नहीं मारा था। उसने अपनी रिपोर्ट में तब्ल के बेट से मारे जाने वाली बात नहीं लिखायी थी,  
बल्कि यह लिखाया था कि तब्ल की धारदार वाले भाग को उसे मारा गया था और यही बयान  
दरोगा जी को बताया था। केवल लाठी डण्डे से मार पीट होना दरोगा जी को नहीं बताया था,  
बल्कि तब्ल और लाठी से मार पीट होना बताया था। वीर सिंह ने लाठी से कन्धे पर मारा था

व मदन सिंह ने तबबल कान के उपर सिर पर मारा था। ये सब बातें उसकी रिपोर्ट व उसके बयान में नहीं लिखी है तो वह उसकी वजह नहीं बता सकता है। घटना वाले दिन खेत से लौटते समय वह मारा गया। यह खेत उसके घर के पूरब से एक किलोमीटर के फॉसले पर है। वह पैदल गया था। वह खेत 10 दिशुवा का है। वह राई 12 बजे घर से खेत देखने गया था और कोई काम नहीं था। रास्ते में कोई आवादी नहीं है। सड़क है। खेत से पीने एक किलोमीटर चला आया था तब उसे मारा गया था। जिस जगह मारा गया था, वही आस पास मकान है। मकान पर आस पास के दो तीन आदमी आये थे। इनके अलावा लल्लू व लाल सिंह आये थे। लोगों में अभियेक, सुपाठी, लाल सिंह थे। इन्होंने घटना नहीं देखी। फिर कहा घटना स्थल आये थे इनके नाम रिपोर्ट में नहीं लिखाये थे। लल्लू व लाल सिंह के मकानात घटनास्थल से 50 मीटर दूर थे। घटना स्थल के आस पास 10-15 मकान है। उन मकानात में रहने वाली में से मीके पर न कोई आया, न ही उसे बचाया। वह मार पीट के दौरान न सड़क पर गिरा न सड़क पर खून गिरा। कपडे में खून लगा था। खून भरे कपडे दरोगा जी को दिखाये थे और वे ले गये थे। खून भरे कपडे के लेने की फर्द उसके सामने नहीं लिखी थी। कपडे लेने के न कोई उससे हस्ताक्षर बनवाये थे। यह कहना गलत है कि दुश्मनी के कारण मुलजिमान को उसने झूठा नामजद किया और पुलिस से मिल कर फर्जी रिपोर्ट लिखायी हो।

साक्षी पी.डबलू-2 लाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि, उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। इसलिये नहीं बता सकते कि किसने किसे मारा। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि घटना के समय वह बोंगरमउ में था। बोंगरमउ से 4-5 बजे शाम लौटा था और सुबह 10 बजे बोंगरमउ गया था। लौट कर आये तब राधा कृष्ण उसे नहीं मिले, वह दूसरे गाँव में रहा है। मदन व वीर सिंह भी नहीं मिले थे। आस पास गाँव के लोग है जिसस जानकारी हुई कि राधाकृष्ण से मदन सिंह व वीर सिंह का झगडा हुआ था। वह नहीं बता सकता कि तबबल से किसने किसको मारा था। दरोगा जी थाने बुलाकर पूछ ताँछ की थी। उसने यही बात बतायी थी जो आज बता रहा है। अगर उन्होंने उसके बयान कुछ और लिखा है तो उसकी वजह नहीं बता सकता है।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डबलू-3 एस.आई. राज नारायन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि उन्होंने मुकदमा एन.सी.आर. 139/03 धारा 323, 504, 506 भा. द.सं. में विवेचना के आदेशानुसार ग्रहण करते हुये नकल चिक एन.सी.आर. व नकल रपट कायमी बयान एन.सी.आर. लेखक दर्ज किया। 12.12.04 को बयान वादी लनेकर उसके निशादेही पर मौका मुआइना करके नक्शा नजरी बनाया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। सभी साक्षियों के बयान लेकर इंजरी, रिपोर्ट की नकल की बयान अभियुक्त गण व गवाहान क बयान लेकर आरोप पत्र सं०-1416/14 न्यायालय में प्रेषित किया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। नक्शा नजरी व आरोप पत्र 17 कमशः प्रदर्श क-2 व 3 डाला गया। मुकदमे की कायमी व एन.सी.आर.

की मौजूदा समझौते द्वारा की गयी, जिसकी प्रदर्शनी मकल पत्रावली में संलग्न है, जिस पर प्रदर्शनी क-4 डाला गया। एन.सी.आर. की प्रमाणित प्रति पर प्रदर्शनी क-1 डाला गया।

साक्षी पी.डब्ल्यू-4 उमा शंकर ए.आर.ओ. ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 30.05.03 को ए.आर.ओ. के पद पर कार्यरत था। दिनांक 30.05.03 को डा. वाई.एस. राधान द्वारा की जावती परीक्षण व मेडिकोलीगर रिजस्टर लेकर आया है। मजकूर राधाकृष्ण का चिकित्सीय परीक्षा तत्कालीन ईएम.ओ. डा. वाई.एस. राधान द्वारा किया गया जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें लिखते पढते उसने देखा है। इजरी रिपोर्ट पर प्रदर्शनी क-4 डाला गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिये जाने के आधार पर एन.सी.आर. पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। पत्रावली में एन.सी.आर. की प्रति संलग्न है, जिस पर प्रदर्शनी क-1 डाला गया है, जिसमें वादी के तहरीर समय अदम के आधार पर एन.सी.आर. दर्ज कराया जाना अंकित है। उक्त एन.सी.आर. में तबल की बेट से अभियुक्तगण द्वारा मारे जाने का कथन किया गया है। यद्यपि कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया गया है कि उसने थाने पर जुबानी सूचना दी थी, जबकि पत्रावली में एन.सी.आर. की प्रति जो संलग्न है, उसमें तहरीर के आधार पर एन.सी.आर. पंजीकृत किया जाना अंकित है।

बचाव पक्ष द्वारा इस तर्क पर विशेष बल दिया गया है कि एन.सी.आर. में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होना कहा गया है, किन्तु कोई तहरीर पत्रावली में संलग्न नहीं है। साथ ही साथ एन.सी.आर. में घटना के समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और समय अदम अंकित किया गया है। ऐसे में अभियोजन कथानक पूर्णतयः मनगढन्त है।

साक्षी पी.डब्ल्यू-1 राधा कृष्ण जो कि प्रस्तुत वाद के वादी मुकदमा है, के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कथन किया गया है कि आवादी के पास घटना है। घटना स्थल के आस पास 10-15 लोगो का मकान होना भी कहा गया है तथा साक्ष्य के पेज नं-5 पर प्रथम लाइन में गवाहो/लोगो में अभिषेक, सुपाडी लाल, लाल सिंह को मौके पर होना कहा गया है, किन्तु उक्त समयी साक्षियो में से मात्र लाल सिंह को बतौर पी.डब्ल्यू-2 अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया है, जिसे कि पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। घटना आवादी के पास की है। समय लगभग दिन के 3 बजे होना कहा गया है, किन्तु घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है।

जहाँ तक घटना के समय का सम्बंध है, तो उल्लेखनीय है कि स्वयं वादी मुकदमा ने अपनी मौखिक साक्ष्य में दोपहर बाद तीन बजे की घटना होना कहा है। यद्यपि की एन.सी.आर. में घटना के समय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पत्रावली में चोटहिल राधाकृष्ण की चिकित्सीय आख्या संलग्न है। उक्त चिकित्सीय आख्या के चिकित्सक की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें परीक्षित नहीं कराया गया है, बल्कि उनके लेख व हस्ताक्षर की पहचान हेतु

उना शकर ए.आर.ओ. को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा चिकित्सक वाई.एस. सधान को लिखते पढ़ते लेखे जाने व उनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित होने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा इन्फ्री रिपोर्ट का मिलान मोडकोलोगल रजिस्टर में सलग्न कार्बन प्रति से प्रमाणित कराया गया है, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया है। यद्यपि कि वादी मुकदमा को जो चोटे आधी है, उनमें से चोट नं0-2 धारदार हथियार से आना तथा चोट सं0-1 ब्लन्ट आब्जेक्ट से आना कहा गया है तथा दोनों ही चोटे साधारण प्रकृति की है, किन्तु अभियोजन द्वारा वादी मुकदमा के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिनके द्वारा कथित घटना देखी गयी हो अथवा घटना के समय वह घटना स्थल पर मौजूद रहा हो। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू-2 को समयी साक्षी होने के आधार पर परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा अपने समक्ष घटना के घटित होने से पूर्णतय इन्कार किया गया है। आस पास गॉव के लोगो से वादी मुकदमा व अभियुक्तगण के मध्य झगडा होने की जानकारी होना उसके द्वारा अपनी साक्ष्य में कहा गया है। ऐसे में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के एक मात्र स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

जहाँ तक धारा 504 भा.द.सं. के आरोप का सम्बंध है, वादी मुकदमा द्वारा अपनी साक्ष्य में न तो मुख्य परीक्षा में, न ही प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को बुरी बुरा गालियों देकर शास्य अपमानित किया गया हो। इस प्रकार धारा 504 भा.द.सं. का आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध साबित करने में अभियोजन अस्फल रहा है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि, अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण मदन सिंह एवं वीर सिंह के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 324, 323, 504 भा0द0सं0 को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से अस्फल रहा है। तदनुसार अभियुक्तगण मदन सिंह एवं वीर सिंह को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

### आदेश

अभियुक्तगण मदन सिंह एवं वीर सिंह को संदेह का लाभ देते हुये धारा 324, 323, 504 भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारो को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(अल्का यादव) 22/05/2019

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
न्यायालय सं0-1, उन्नाव।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया ।

( अलका यादव ) 22/05/19

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
न्यायालय सं०-१, उन्नाव ।

दिनांक 22.05.2019

वीर सिंह  
मदन सिंह